न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 896/2022

अनवान : –

1. गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 52/48 की कुल 7.9180 हैक्ट भूमि मे से 1319/7918 हिस्सा व रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 91/86 की कुल 13.6620 हैक्ट भूमि में से 5/27 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 91/86 की भूमि में वादी का नाम गुरसेवक उर्फ सेवक सिंह पुत्र गुरजन्टसिंह व रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 52/48 की भूमि में वादी का नाम सेवकसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जन आधार कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट में वादी का नाम गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजनसिंह दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना सही नाम शिव कुमार पुत्र हनुमान सिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सेवक सिंह पुत्र गुरजन्टसिंह है जबकि वादी के सभी दस्तावेजों में नाम गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह है। अतः राजस्व रिकार्ड मे सेवक सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह के स्थान पर गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह दुरूस्त किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:38:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बहस वकील वादी सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी का सही नाम गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्टसिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड में सेवक सिंह पुत्र गुरजन्टसिंह गलत दर्ज हो गया जिससे वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना

पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जन आधार कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट में गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्टसिंह दर्ज है। अतः मुताबिक वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी का सही नाम गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्टसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 52/48 की भूमि में वादी का नाम सेवकसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह दर्ज है जबकि रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 91/86 की भूमि में वादी का नाम गुरसेवक उर्फ सेवक सिंह पुत्र गुरजन्टसिंह दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जन आधार कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट आदि में वादी का नाम गुरसेवकसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वादी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 52/48 की कुल 7.9180 हैक्ट भूमि मे से 1319/7918 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी सेवकसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह के स्थान पर गुरसेवक उर्फ सेवक सिंह पुत्र गुरजन्टसिंह के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सेवकसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सेवकसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम सेवकसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:38:34 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या – 896/2022
अनवान : –

1. गुरसेवक सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मनीराम एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 52/48 की कुल 7.9180 हैक्ट भूमि मे से 1319/7918 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी सेवकसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह के स्थान पर गुरसेवक उर्फ सेवक सिंह पुत्र गुरजन्टसिंह के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सेवकसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सेवकसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम सेवकसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:38:34 IST
Reason: SelfAttested